योजना रोजगार योजना के तहत लखनऊ क्षेत्र में चार माह में खुलीं 2,152 नई कंपनियां

37,926 कंपनियां उठाएंगी योजना का लाभ

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ क्षेत्र की 37,926 कंपनियों को नए कर्मचारी रखने पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत अधिकतम 3000 रुपये हर महीने मिलेंगे, तो नियुक्ति पर रखे गए नए कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक का इंसेटिव मिलेगा। पिछले चार महीने अप्रैल से जुलाई के बीच लखनऊ क्षेत्र में 2,152 नई कंपनियों ने ईपीएफओ में पंजीकरण कराया है।

अश्विनी कुमार गुप्ता।

गोमतीनगर के विभूतिखंड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता कर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अश्विनी कुमार गुप्ता ने बताया कि योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र में लाना है।

पिछले चार महीने में 2152 नई कंपनियां हुईं पंजीकृत

यह योजना 15 अगस्त से शुरू हुई है, जिसके तहत पहली बार ईपीएफओ में पंजीकृत ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन एक लाख तक है। उनको छह महीने की सेवा के बाद अधिकतम 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, नौकरी देने वाली कंपनी के खाते में नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर दो साल तक अधिकतम 3,000 रुपया मासिक सहायता राशि दी जाएगी। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो उसे चार साल तक 3,000 रुपया तक मासिक सहायता दी जाएगी।

योजना के लाभ के लिए 50 से कम कर्मचारियों वाली फर्म को कम से कम दो नए कर्मचारी और 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली फर्म को पांच नए कर्मचारी रखना होगा।

अभी 5-8% रोजगार वृद्धि दर, 20-25% पहुंचने की उम्मीद

ईपीएफओ कमिश्नर ने बताया कि कुल एक लाख करोड़ के बजट से 10,000 करोड़ यूपी को मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में रोजगार की वृद्धि दर 20-25 फीसदी तक बढ़ जाएगी, जो कि अभी 5-8 प्रतिशत सालाना है। पिछले एक साल रोजगार में सात प्रतिशत इजाफा हुआ है। इस समय लखनऊ क्षेत्र के छह जिलों लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी व रायबरेली में 37,926 प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। इसमें 7,087 कंपनियों की ओर से पीएफ राशि जमा की जाती है। क्षेत्र में 5 लाख से ज्यादा सक्रिय यूएएनधारी हैं।